अध्याय XIV: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

14.1 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ठीक से प्रबंधन नहीं किया। इसके फलस्वरूप सात चयनित परियोजनाओं में ₹66.05 करोड़ के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक हुई।

14.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सितंबर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) का गठन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत निम्न उद्देश्यों के साथ किया:

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने वाले औद्योगिक समुत्थानों और अन्य अभिकरणों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा आधारित की जाएँ, शेयर पूंजी का उपबंध कर सकेगा।
- वाणिज्यिक उपयोजन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास या आयातित प्रौद्योगिकी के अंगीकार करने में लगी हुई ऐसी अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

टी.डी.बी. के कार्यों का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड में 10 अन्य सदस्य[1] होते हैं तथा टी.डी.बी. के सचिव, सदस्य सचिव होते हैं।

14.1.2 वित्तीय प्रबंधन

टी.डी.बी. मुख्य रूप से डी.एस.टी. द्वारा जारी अनुदानों से वित्तपोषित है। 2008-09 से 2018-19 के दौरान, टी.डी.बी. ने अनुदान के रूप में ₹ 378.05 करोड़ एवं उधार लेने वाली कंपनियों से लोन/ब्याज/रॉयल्टी के पुनर्भुगतान के

[1] जिसमें भारत सरकार के छः सचिव और प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग, बैंकिंग और वित्त, कंपनी, कृषि और ग्रामीण विकास में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से नियुक्त चार सदस्य शामिल हैं।

रूप में ₹478.23 करोड़ प्राप्त किए। इसी अवधि के दौरान टी.डी.बी. ने लोन, अनुदान एवं इक्विटी/वेंचर कैपीटल फंडों के रूप में ₹1,047.72 करोड़ वितरित किए एवं ₹1,080.71 करोड़[2] की वित्तीय सहायता से 113 परियोजनाएं अनुमोदित की, जिसमें से ₹783.43 करोड़[3] मार्च 2019 तक कंपनियों को जारी किए गए। टी.डी.बी. के वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹309.81 करोड़ एवं ₹730.11 करोड़ की कीमत का औद्योगिक कारोबार से संबंधित ऋण क्रमश: 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2019 तक बकाया था, जिसमें से क्रमश: ₹70.10 करोड़ और ₹225.05 करोड़ की राशि चुकाने के लिए अतिदेय थी।

14.1.3 वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड

14.1.3.1 वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तें

टी.डी.बी. मुख्य रूप से प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर सुलभ ऋण प्रदान करता है। वित्तीय सहायता आमतौर पर परियोजना या इक्विटी सदस्यता के स्वीकृत परिव्यय के आधे हिस्से तक ऋण के रूप में होती है, जो परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक हो सकती है। परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन, औद्योगिक सहभागियों का चयन, अनुमोदन, ऋणों का संवितरण और निगरानी टी.डी.बी. की स्थायी आदेशों की नियम-पुस्तिका[4] में दिए गए नियमों के मुताबिक किया जाता है।

14.1.3.2 परियोजना प्रस्तावों की छानबीन एवं अनुमोदन

वित्तीय सहायता के आवेदन की जांच प्रारंभिक छानबीन समिति (आई.एस.सी.) द्वारा की जाती है, जिसमें मुख्यत: डी.एस.टी. के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो आवेदन की परिपूर्णता, परियोजना का उद्देश्य, प्रौद्योगिकी की स्थिति, आवेदक की पिछली उपलब्धियां एवं कुल लागत की जांच करते हैं। आई.एस.सी. की अनुशंसाओं के आधार पर, आवेदन की जांच उसके वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक एवं वित्तीय गुणों के स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ई.सी.) द्वारा की जाती है। निजी कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल और 2008-19 के दौरान

---

[2] ऋण: ₹1,064.36 करोड़, अनुदान: ₹15.00 करोड़ और इक्विटी: ₹1.35 करोड़।

[3] ऋण: ₹768.13 करोड़, अनुदान: ₹14.20 करोड़ और इक्विटी: ₹1.10 करोड़।

[4] स्थायी आदेशों की नियमावली टी.डी.बी. द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों, टी.डी.बी नियम, 1996 के प्रावधानों, टी.डी.बी अधिनियम, 1998 और उसके बाद के संशोधनों, परियोजना के वित्तपोषण के दिशानिर्देशों और कानूनी वकीलों की सलाह को समेकित करता है।

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और राशि की वास्तविक संख्या **तालिका संख्या 1** में विस्तृत है।

तालिका संख्या 1: वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए शक्तियाँ

वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए शक्तियां						
	अध्यक्ष		बोर्ड द्वारा नियुक्त उप-समिति		बोर्ड	
09 मई 2010 तक	पी.ई.सी. की अनुशंसा पर ₹ एक करोड़ तक		₹ एक करोड़ से अधिक और ₹ पांच करोड़ तक,		₹ पांच करोड़ से अधिक	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि
	1	₹0.75 करोड़	19	₹71.49 करोड़	6	₹66.64 करोड़
10 मई 2010 से	पी.ई.सी. की अनुशंसा पर ₹2.50 करोड़ तक		₹2.50 करोड़ से अधिक और ₹ 10 करोड़ तक		₹10 करोड़ से अधिक	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि
	28	₹52.10 करोड़	48	₹298.11 करोड़	11	₹591.62 करोड़

ऋण सहायता के प्रत्येक मामले के लिए, लाभार्थी को टी.डी.बी. के साथ एक औपचारिक अनुबंध करना होता है। परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के एक साल बाद से ब्याज के साथ ऋण का पुनर्भुगतान शुरू होना चाहिए तथा ब्याज के साथ ऋण का भुगतान परियोजना पूर्ण होने के पांच साल के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा, परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरा ऋण चुकाने तक के समय हेतु 0.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी भी ली जाती है।

14.1.3.3 परियोजनाओं की देखरेख

ऋणी कंपनियों के साथ किए गए ऋण अनुबंध के अनुसार, प्रत्येक परियोजना जिसमें ऋण सहायता प्रदान की गई है, को परियोजना निगरानी समिति (पी.एम.सी.) द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, जिसमें बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ऋणियों को छह मासिक विवरण जमा करनी होगी, जिसमे किये गए व्यय का विवरण, प्रौद्योगिक प्रगति, कंपनी की वित्तीय स्थिति, मशीन एवं प्लांट की खरीद/ बीमा आदि की जानकारी विहित प्रारूप के अनुसार देनी होती है और परियोजनाओं के अंत में, एक अंतिम परियोजना रिपोर्ट टी.डी.बी. को सौंपनी होगी।

14.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

1999-2005 के समय के दौरान "प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड़ की कार्यप्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की, 2006 की रिपोर्ट संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया था और पांच अनुशंसाएँ की गई थीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को किस हद तक लागू किया था, इसका मूल्यांकन करने के लिए, 2008-09 से 2018-19 तक की अवधि के लिए एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई जिसमे यह आकलन शामिल था कि क्या:

- निजी कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करने से पहले टी.डी.बी. द्वारा सम्यक तत्परता का पालन किया गया था;
- वित्तीय सहायता अनुमोदित शर्तों के मुताबिक की गई है;
- सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा में ऋणों के प्रबंधन का काम शीघ्र एवं कुशल था; एवं
- परियोजनाओं की प्रगति की पर्याप्त निगरानी टी.डी.बी. द्वारा की गई थी।

14.1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2008-09 से 2018-19 के दौरान, टी.डी.बी. ने 113 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹783.43 करोड़ स्वीकृत किए। लेखापरीक्षा में इन परियोजनाओं को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया यानी पूर्ण, अपूर्ण, परित्यक्त, जारी परियोजनाएँ। इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी में से उन नमूनों का चयन किया गया जिनमें उच्च एवं निम्न दोनों मौद्रिक कीमतें शामिल थीं। इस तरह, 21 परियोजनाओं का चयन लेखापरीक्षा के लिए

किया गया, जिनमें कुल मिलाकर ₹337.65 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विवरण **तालिका संख्या 2** में वर्णित है।

तालिका संख्या 2: कुल एवं चयनित परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	परियोजनाओं की कुल संख्या	प्रस्तावित वित्तीय सहायता	मार्च 2019 तक दी गयी वित्तीय सहायता	चयनित परियोजनाओं की सं.	प्रस्तावित वित्तीय सहायता	मार्च 2019 तक दी गई वित्तीय सहायता
पूर्ण	50	242.84	227.68	10	65.91	64.05
अपूर्ण[5]	16	81.51	57.64	4	26.32	21.65
परित्यक्त	09	43.50	15.98	3	12.55	6.60
जारी	38	712.86	482.13	4	359.41	245.35
कुल	**113**	**1,080.71**	**783.43**	**21**	**464.19**	**337.65**

स्वीकृत लागत और जारी की गई धनराशि के साथ चयनित परियोजनाओं की सूची **अनुलग्नक 14.1** में दी गई है।

14.1.6 पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित अवलोकनों का अनुवर्तन

"प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की कार्यप्रणाली" पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2006 की संख्या 1) में बताये गए बिक्री अनुमान (पैरा 3.7.2), ऋण अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा किए बिना ऋणों का दिया जाना (पैरा 3.7.3), अपर्याप्त देखरेख (पैरा 3.7.4), ऋण के पुनर्भुगतान में चूक (पैरा 3.7.5) आदि मुद्दे को उठाया गया था। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर टी.डी.बी. द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की गई और पाया गया कि डी.एस.टी./टी.डी.बी. द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी चार मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दों की पुनरावृत्ति 2008-19 के दौरान होती रही। लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की गयी सिफारिशों, टी.डी.बी. द्वारा की गई कार्रवाई एवं मार्च 2019 तक की स्थिति **अनुलग्नक 14.2** में दी गई है।

आगे के पैराग्राफ में लेखापरीक्षा अवलोकनों का वर्णन किया है।

[5] परियोजना जो परियोजना के प्रस्ताव में अपनी सीमा चिह्न को पूरा नहीं कर पाई है और अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

14.1.7 लेखापरीक्षा जांच

14.1.7.1 पात्रता की शर्तों में राहत प्रदान करने के बाद वित्तीय सहायता की स्वीकृति

21 में से चार ऐसी परियोजनाएँ जिनकी स्क्रूटनी की गई थी, उनमें बोर्ड द्वारा ऋण देने की परिस्थितियों का लोप किया गया था। उक्त मामले आगे वर्णित हैं।

(i) हरित उर्जा उपायों के रूप एल.ई.ली. आधारित प्रकाश व्यवस्था के उत्पादों के विकास एवं व्यवसायीकरण के लिए एम.आई.सी. इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हैदराबाद की परियोजना को टी.डी.बी. के बोर्ड ने स्वीकृत किया (मार्च 2010)। ₹15.00 करोड़ की ऋण राशि इस शर्त के साथ जारी की गई कि प्रवर्तक द्वारा आयोजित ₹ दो अंकित मूल्य वाले कंपनी के 50 लाख शेयर जिनकी कीमत ₹ एक करोड़ है, टी.डी.बी. को गिरवी रखे जाएंगे। जब कंपनी ने मांगे गए शेयर्स को देने में असमर्थता व्यक्त की तो टी.डी.बी.ने इस शर्त में राहत देते हुए, अनुबंध ₹75 लाख के केवल 37.50 लाख शेयर लेकर समझौता हस्ताक्षरित कर लिया। हालांकि, इस छूट का कोई औचित्य टी.डी.बी. के अभिलेखों में नहीं पाया गया और कंपनी को कुल ₹15.00 करोड़ की राशि जारी की गयी।

भले ही परियोजना को पूर्ण घोषित कर दिया गया हो कंपनी बकाया पैसों का भुगतान करने में असमर्थ रही। टी.डी.बी. ने (जनवरी 2014) में ऋण वापिस ले लिया तथा मामले को मध्यस्थ के पास (मार्च 2014) भेज दिया। मध्यस्थ ने (अक्टूबर 2016) टी.डी.बी. के पक्ष में ₹17.63 करोड़ का पुरस्कार पारित किया। हालांकि, कंपनी मार्च 2018 में दिवालिया घोषित हो गई एवं बकाया पैसों के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा सकी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि बिना टी.डी.बी. के हितों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित/लोप करके, अनुबंध की शर्तों में, परिवर्तन की शक्ति अध्यक्ष की स्वीकृति से टी.डी.बी. के सचिव को सौंपी गयी थी।

हालांकि, शर्तों में परिवर्तन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली गई थी, लेकिन समपार्श्विक की मात्रा में कमी करके टी.डी.बी. की वित्तीय सुरक्षा का लोप कर दिया गया था एवं बकाया पैसा कंपनी से नहीं लिया जा सका था।

(ii) टी.डी.बी. के बोर्ड ने मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को अपनी परियोजना 'बिड़ला एक्सेल सॉल्वेंट सेल्यूलोसिक फाइबर प्लांट' के लिए ₹250 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की (फरवरी 2017), जो शर्तों के साथ तय की है

कि ऋण सहायता को मौजूदा ऋणदाताओं के साथ पारी-पासू आधार पर अपने खारच संयंत्र में स्थित कंपनी की संपत्ति (चल और अचल) दोनों मौजूदा और भविष्य में पहले प्रभार पर तय किया जाएगा।

कंपनी के साथ ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित करते समय (मार्च 2018), टी.डी.बी. ने अचल संपत्तियों को गिरवी रखने के खंड को शामिल ही नहीं किया। टी.डी.बी. ने कंपनी के खराच प्लांट पर कंपनी के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति की जानकारी भी नहीं ली थी। इस तरह, टी.डी.बी. की वित्तीय सुरक्षा को कम किया गया, क्योंकि बोर्ड द्वारा बताए गए नियम के अनुसार अचल संपत्ति को लेकर कोई समपार्श्विक नहीं लिया गया था।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि कंपनी ने उसकी वित्तीय स्थिति के चलते नीतिगत निर्णय के कारण अचल संपत्ति को बंधक बनाने के चरण को पूरा नहीं किया। हालांकि, टी.डी.बी. के पास मौजूद चल संपत्तियों की कीमत ₹910.69 करोड़ थी जो कि ऋण मूल्य से 3.96 गुना ज्यादा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने राशि के लिए परियोजना की सिफ़ारिश करते समय यह स्पष्ट किया था की ऋण को चल व अचल संपत्तियों के जरिए सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिसे बाद में लचीला कर दिया गया था।

(iii) टी.डी.बी. की उप-समिति ने (अक्टूबर 2011) मेसर्स बायोजेनेक्स लाईफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ₹9.99 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया बशर्ते (i) ₹50 लाख कुल कीमत के ₹10 मूल्य प्रत्येक वाले पांच लाख शेयर टी.डी.बी. के पास गिरवी रखे जाएंगे। (ii) ऋण राशि को कंपनी की संपत्ति को बंधक रख कर सुरक्षित किया जाएगा।

हालांकि, कंपनी ने शेयर्स को गिरवी रखने में असमर्थता व्यक्त की। अनुबंध में जाने से पूर्व टी.डी.बी. ने इस शर्त को विलोपित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी के निवेदन पर, बंधक की शर्त को भी आंध्र प्रदेश औद्ध्योगिक इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (ए.पी.आई.आई.सी.) के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) टी.डी.बी. के पक्ष में उक्त भूमि को प्रदान करके शिथिल कर दिया। अनुबंध में, टी.डी.बी. ने 10.00 लाख अमेरिकी डॉलर के आंतरिक मूल्य वाले कंपनी के शेयरों के बजाय, प्रोमोटर[6] कंपनी में प्रोमोटर के शेयरों की टी.डी.बी. के पक्ष में प्रतिज्ञा हेतु एक अन्य धारा डाल दी। इस तरह, कंपनी ने प्रोमोटर के मूल शेयर दस्तावेज़ों के साथ ए.पी.आई.आई.सी. द्वारा जारी किया गया एन.ओ.सी.,

[6] मेसर्स बायो जिनेक्स लेबोरेटरीज इंक., यू.एस.ए.

टी.डी.बी. को जमा करा दिया था। कोई बंधक विलेख निष्पादित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में सामने आया कि टी.डी.बी. ने उप-समिति की स्वीकृति के बिना अनुबंध के नियमों और शर्तों में परिवर्तन किया। इसके अलावा, प्रमोटर द्वारा दिए गए 10 लाख अमरीकी डॉलर की कीमत को भी शेयर प्रमाण पत्रों से सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र पर उनका अंकित मूल्य वर्णित नहीं था। टी.डी.बी. ने इन शेयर्स की उचित कीमत का सत्यापन नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि प्रमोटर द्वारा किए गए शेयर प्रमाण पत्रों पर यह वर्णित था कि उक्त शेयर्स को ना तो बेचा जा सकता है ना ही विक्रय, गिरवी या दृष्टिबंधक के लिए रखा जा सकता हैं क्योंकि यह प्रतिभूति अधिनियम 1933[7] के तहत पंजीकृत नहीं था। बंधक पत्र के अभाव में ए.पी.आई.सी.सी. द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई औचित्य नहीं है। बंधक पत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा दिये गए ए.पी.आई.सी.सी. के एन.ओ.सी. का कोई औचित्य नहीं था। आगे, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण, शेयरों की कीमत का भी सत्यापन नहीं किया जा सका। इस तरह ₹9.99 करोड़ के ऋण के लिए टी.डी.बी. द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूतियों की प्रभावशीलता संदिग्ध रहीं।

कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा नहीं किया। इसलिए, टी.डी.बी ने परियोजना को इसके उद्देश्यों को प्राप्त किये बिना ही बंद (मई 2015) कर दिया। कंपनी ने अपने ऋण का पुनर्भुगतान भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, टी.डी.बी ने मामला मध्यस्थ को सौंपा (अगस्त 2016) जिसने टी.डी.बी. के पक्ष में ₹12.86 करोड़ का पुरस्कार पारित करने के साथ पुरस्कार की राशि पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से *पेंडेंट लाइट*[8] ब्याज दिया (मार्च 2018)। सितंबर 2019 तक, कंपनी से वसूली हेतु ₹16.59 करोड़ की राशि लंबित थी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि टी.डी.बी. के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात ही टी.डी.बी. द्वारा संशोधित नियम व शर्तें स्वीकार की गई थी।

यद्यपि नियम व शर्तों को बदलने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया था, परंतु बोर्ड द्वारा अनुशंसित ऋण के नियम व शर्तों में बदलाव ने

---

[7] संयुक्त राज्य अमेरिका के 1933 के प्रतिभूति अधिनियम को 27 मई, 1933 को संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था।

[8] लंबित याचिका

टी.डी.बी. के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया तथा ऋण राशि को वसूल किया जाना अभी तक शेष था।

(iv) बोर्ड ने मैसर्स बायलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद को निमोकॉक्ल क्नजुगेट वैक्सीन हेतु निर्माण सुविधाओं को स्थापित करने लिए ऋण की स्वीकृति (अगस्त 2016) इस शर्त पर दी थी कि कंपनी वाणिज्यकरण के शरू होने की दिनांक से लेकर ऋण, इत्यादि के संपूर्ण भुगतान तक बोर्ड को उत्पाद के बिक्री टर्नओवर पर 0.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी देगी। टी.डी.बी. ने बार्ड द्वारा स्वीकृत शर्तों के विरूद्ध रॉयल्टी की दर को 0.2 प्रतिशत तक कम कर दिया। बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बिना ऋण के नियम व शर्तों को बदलना अनियमित था तथा इससे बोर्ड के निगरानी संबंधी कार्यों के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि कंपनी ने रॉयल्टी की दर को 0.5 से 0.2 प्रतिशत तक घटाने हेतु अनुरोध किया था तथा 55वीं बोर्ड की बैठक (5 अगस्त 2016) में इस पर चर्चा भी की गई थी, जिसमें परियोजना को स्वीकीर किया गया था व बोर्ड ने उसे नोट भी किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने टी.डी.बी. के अन्य खण्डों सहित परियोजना को स्वीकार (अगस्त 2016) किया गया था। उसी प्रारूप के आधार पर कंपनी को सितंबर 2016 में आशय पत्र जारी किया गया था जिसमें 0.5 प्रतिशत रॉयल्टी के भुगतान का खण्ड समाविष्ट था। यह इंगित करता है कि रॉयल्टी की दर में कमी पर टी.डी.बी. बोर्ड की अनुमति नहीं थी।

14.1.7.2 गिरवी रखे गए शेयरों के आतंरिक मूल्य का गैर मूल्यांकन

टी.डी.बी. के स्थायी आदेशों की नियमावली के पैरा 4.12 के अनुसार, औद्योगिक संस्था से अपेक्षित है कि वह बैंक गारंटी, कार्पोरेट गारंटी, व्यक्तिगत गारंटी, शेयर का गिरवी रखना, संपत्ति को बंधक रखने इत्यादि के रूप में टी.डी.बी. को ऋण सहायता के रूप में संपार्श्विक उपलब्ध करवाए। उन मामलों में जहाँ शेयरों की गिरवी के विरूद्ध ऋण सहायता दी गई है, वहाँ उधार लेने वाली कंपनी के इक्विटी/प्राथमिकता शेयर को टी.डी.बी. के पक्ष में गिरवी रखा जाना चाहिए।

जाँची गई 21 परियोजनाओं में से, 15 मामलों में संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की गई, जिसमे टी.डी.बी. को उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा शेयरों का गिरवी

रखना सम्मिलित था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13[9] कंपनियों द्वारा गिरवी रखे गए शेयर मार्च 2019 तक भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। इसके अभाव में, इन कंपनियों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का आंतरिक मूल्य[10] ज्ञात नहीं था। फाइल पर कोई भी अभिलेख नहीं थे जो यह दर्शाते हो कि समझौते पर हस्ताक्षर करने और ऋण जारी करने से पहले इन कंपनियों के शेयरों के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन किया गया था। इसने शेयरों की बिक्री के माध्यम से ऋण की वसूली की स्थिति में ऋण सहायता हेतु वित्तीय जोखिम को उजागर किया है।

14.1.7.3 ऋण की पहली किश्त का अधिक किया जाना

टी.डी.बी. के स्थायी आदेशों की नियमावली के पैरा 4.25 के संदर्भ में पहली किश्त के रूप मे दी जाने वाली वित्तीय सहायता को कुल सहायता के 10 से 25 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया जाना था। पहली किश्त की मात्रा को 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की स्थिति में, विशेष कारण दर्ज किये जाने चाहिए तथा अध्यक्ष की अनुमति ली जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच मामलों[11] में, टी.डी.बी. ने ऋण की पहली किश्त को कुल स्वीकृत ऋण सहायता के 30 से 50 प्रतिशत पर वितरित किया। इन सभी मामलों में, टी.डी.बी. द्वारा न तो स्वीकृत पहली किश्त की

---

9 मैसर्स स्प्रे इंजिनीयरिंग डिवाइस लिमिटेड, चंडीगढ़; मैसर्स एस.बी.पी एक्वाटेक प्रा.लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई.) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधी नगर, गुजरात; मैसर्स रिलायंस सेलुलोस प्रोडक्टस लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स इंटेलिज़न एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स बायोजेनैक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स सामिक्स रिसर्च मटिरियल प्रा. लिमिटेड, बरेली (उ.प्र.); मैसर्स कावेया कार्बन (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु; मैसर्स एंजल्स हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बैंगलोर; मैसर्स इन्टेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स मोबिलैक्सियन टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड, त्रिवंद्रम

10 किसी शेयर का आंतरिक मूल्य उसका सही मूल्य है। इसकी गणना मौद्रिक लाभ के आधार पर की जाती है जिसे निवेशक भविष्य में इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह अधिकतम मूल्य है जिस पर निवेशक संपत्ति को बेच सकता है तथा भविष्य में इसे बेचने पर हानि नहीं होती।

11 कंपनियाँ (ऋण की पहली किश्त की मात्रा); मैसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद (30.17 प्रतिशत); मैसर्स कावेया कार्बनस (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, चेन्नई (41 प्रतिशत); मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बैंगलोर (31.25 प्रतिशत); मैसर्स बायोजेनैक्स लाइफ साइनसेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (50.06 प्रतिशत) तथा मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद (40 प्रतिशत)।

उच्च राशि हेतु कारण दर्शाए थे और न ही अध्यक्ष की अनुमति ली गई थी जैसा कि उसके दिशानिर्देशों में दर्शाया गया है, जो कि गलत है।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि केवल असाधारण मामलों जैसे अल्प आवधिक परियोजनाऐं जिसमें निधियों के शीघ्र निवेश की आवश्यकता हो तथा खरीद गतिविधियों को बल देने हेतु में ही अतिरिक्त पहली किश्त को जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्च दर पर किश्तें विशिष्ट कारण बताए बिना तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना वितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, उक्त उल्लिखित पाँच कंपनियों में से दो अर्थात मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई तथा मेसर्स बायोजेनेक्स लाइफ सांइसेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की जैसा कि **पैरा 14.1.7.5** में चर्चा की गई है।

14.1.7.4 समझौते की शर्तों को पूरा किये बिना ऋण की किश्त को जारी करना

उधार लेने वाली कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौते निर्धारित करते हैं कि ऋण की प्रत्येक किश्त निर्धारित सीमा चिह्न जैसे शेयरों को गिरवी रखना, हाइपोथिकेशन/ऋण प्रसंविदा के क्रियान्वयन, अचल आस्तियों के हाइपोथिकेशन/ऋण प्रसंविदा के क्रियान्वयन हेतु बैंकर/वित्तीय संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण, कार्यशील पूंजी हेतु व्यवस्था, बैंक प्रत्याभूती के प्रस्तुतीकरण, रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज के साथ प्रभार के पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करने इत्यादि जैसे विनिर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति आदि के पश्चात ही जारी की जाएँगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार परियोजनाओं में, टी.डी.बी. ने उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा विनिर्धारित लक्ष्यों को पूरा किये बिना ही ऋण की विभिन्न किश्तें जारी कर दी थीं। अपेक्षित शर्तों व उपयुक्त बचाव को पूरा किये बिना ही ऋण की किश्त जारी की गई थी, जिसने टी.डी.बी. के वित्तीय हितों को प्रभावित किया, जैसा कि **तालिका संख्या 3** में चर्चा की गई है।

तालिका संख्या 3: समझौते की शर्तों को पूरा किये बिना ऋण की किश्तों को जारी किया गया

क्रम.सं.	उद्दयोग भागीदार	ऋण समझौते की शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	मैसर्स ज्योति लिमिटेड, वडोदरा	₹10 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए किये गए ऋण समझौते (अक्टूबर 2008) की शर्तों के अनुसार, ₹2.50 करोड़ की पहली किश्त देने से पहले टी.डी.बी. को कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हेतु स्वयं को संतुष्ट करना था। इस खण्ड को टी.डी.बी. बोर्ड द्वारा बदल दिया गया था व ऋण की पहली किश्त को जारी करने के स्थान पर तीसरी किश्त जारी करने हेतु एक शर्त रखी गई थी।	टी.डी.बी. ने कार्यशील पूंजी हेतु कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए बिना ही ₹ तीन करोड़ की तीसरी किश्त जारी (जनवरी 2013) की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण की तीसरी किश्त के जारी करने के एक वर्ष बाद, कंपनी ने टी.डी.बी. को सूचित (जनवरी 2014) किया कि उसने कार्यशील पूंजी हेतु अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने व विद्यमान उधारों की पुनर्संरचना हेतु अपने बैंक कमियों व कॉर्पोरेट उधार पुनर्संरचना सेल से संपर्क किया था व टी.डी.बी. से वह ₹50.00 लाख की अंतिम चौथी किश्त नहीं ले पाया था। कंपनी को अंतत: बिमार कंपनी के रूप में घोषित कर दिया गया था। मार्च 2019 तक ऋण जिसमें ब्याज इत्यादि भी शामिल था, वसूली योग्य नहीं था। डी.एस.टी. ने अपने उत्तर (फरवरी 2019) में कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के बारे में स्वंय को संतुष्ट किये बिना तीसरी किश्त जारी करने हेतु कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।
2.	मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	₹6.15 करोड़ की वित्तीय सहायता हेतु कंपनी के साथ किये गए ऋण समझौते के अनुसार, कंपनी की अचल संपत्ति (भूमि) का प्रथम समरूप	टी.डी.बी. ने ₹4.25 करोड़ के ऋण के तीन हिस्सों को बिना यह सुनिश्चित किए वितरित कर दिया कि भूमि का प्रभार उसके पक्ष में किया गया था। तत्पश्चात, कंपनी में संसाधनों की कमी के कारण वह

		प्रभार ऋण की प्रथम किश्त के जारी होने से पहले प्रतिभूति/ आनुषंगिक के रूप में टी.डी.बी. के पक्ष में किया जाना था।	एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.[12] की परिधि के अंतर्गत आ गई। मार्च 2019 तक बकाया ऋण व ब्याज वसूली हेतु लंबित थे। डी.एस.टी. ने स्वीकार (फरवरी 2019) किया कि टी.डी.बी. के पक्ष में अचल संपत्ति पर प्रभार निर्मित नहीं किया जा सकता था।
3.	मैसर्स इनटेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद	समझौते की शर्तों के अनुसार, उधार लेने वालों से अपेक्षित है कि बीमाकृत संपत्तियों को उनके प्रतिस्थापना मूल्य तक रखने के लिए और इस उद्देश्य के लिए देय प्रीमियम व अन्य रकम का विधिवत भुगतान करें। उधार लेने वालों द्वारा ऋण राशि व ब्याज इत्यादि का पूर्ण रूप से भुगतान किये जाने तक बोर्ड को बीमे का लाभार्थी बनाया जाना चाहिए।	टी.डी.बी. के पास कोई भी सूचना नहीं थी कि क्या इन कंपनियों ने अपनी संपत्तियों का बीमा करवाया था। इसके अतिरिक्त सात[13] अन्य परियोजनाओं में, टी.डी.बी. के पास इन परियोजनाओं की नवीनतम बीमा पॉलिसियाँ नहीं थीं यद्यपि टी.डी.बी. को समस्त ऋण व ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। डी.एस.टी. ने स्वीकार किया (फरवरी 2019) कि क्रम संख्या 3 व 4 पर उल्लिखित दो कंपनियों के संदर्भ में टी.डी.बी. के पास बीमा पॉलिसी उपल्बध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि टी.डी.बी. के पास सितंबर 2019 तक शेष सात कंपनियों की भी बीमा पॉलिसी नहीं थीं। यह दर्शाता है कि टी.डी.बी. ने कंपनियों से बीमा प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।
4.	मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद		

[12] एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002) वित्तीय आस्तियों के संदर्भ में निर्मित सुरक्षा हितों को लागू करने तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण को विनियमित करने हेतु अधिनियमित किया गया था ताकि वह ऐसी आस्तियों की प्राप्ति में सक्षम हो सकें।

[13] मैसर्स बायोजेनैक्स लाइफ सांइनसेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ज्योति लिमिटेड, वडोदरा; मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) लिमिटेड, चेन्नई, मैसर्स एम.आई.सी. इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स रिलायंस सेल्यूलोस प्रोडक्टस लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स साइचेम टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

14.1.7.5 पुनर्भुगतान में चूक

ऋण समझौतों के अनुसार, ऋण इत्यादि के पुनर्भुगतान में चूक और/या ऋण समझौते के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने पर बोर्ड उधार लेने वाले को लिखित में नोटिस देकर ऋण समझौते को समाप्त कर सकता है। टी.डी.बी. के स्थायी आदेशों की नियमावली, कंपनियों द्वारा ऋण के भुगतान में चूक होने की स्थिति में ऋण को वापस लेने हेतु किसी भी समय सीमा को निर्धारित नहीं करती है।

31 मार्च 2019 तक टी.डी.बी. के वित्तीय विवरणों के अनुसार, 107 उधार लेने वाली कंपनियों से ₹730.11 करोड़ का ऋण बकाया था जिसमें से 64 उधार लेने वाली कंपनियों से भुगतान हेतु ₹225.05 करोड़ की राशि आठ दिन से लेकर 19 वर्षों की अवधि तक अतिदेय थी।

लेखापरीक्षा में जाँच की गई 21 परियोजनाओं में टी.डी.बी. ने ₹464.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी तथा मार्च 2019 तक ₹337.65 करोड़ जारी किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- 10 परियोजनाओं[14] में पूर्ण व अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ था, जबकि चार[15] परियोजनाओं में 31 मार्च 2019 तक पुनर्भुगतान अभी तक देय नहीं था।
- शेष सात[16] परियोजनाओं में, उधार लेने वाली कंपनियों ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी तथा पाँच[17] उधार लेने वाली कंपनियों के

---

[14] मैसर्स स्प्रे इंजिनीरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, चंडीगढ़; मैसर्स साईचेम टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स औजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड हैदराबाद; मैसर्स सहजानंद लेज़र टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधी नगर, गुजरात; मैसर्स इंटेलिज़ोन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स सामिक्स रिसर्च मटिरियल प्रा. लिमिटेड, बरेली (उ.प्र); मैसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एंजल हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बेंगलोर तथा मैसर्स एक्सियो बायोसोल्यूशन प्रा. लिमिटेड, अहमदाबाद

[15] मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ग्रासिम इंड्स्ट्रीज़ लिमिटेड, मुम्बई; मैसर्स एबिलिटीज़ इंडिया पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड, दिल्ली तथा मैसर्स मोबाइलज़ियन टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लिमिटेड, त्रिवेंद्रम

[16] मैसर्स इंटेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ज्योति लिमिटेड, वड़ोदरा; मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एम.आई.सी. इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स रिलायंस सेल्यूलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स, बायोजैनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद तथा मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु

विरूद्ध मामले मध्यस्थता न्यायालय में दायर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन सात कंपनियों से ₹ 66.05 करोड़ का पुनर्भुगतान ब्याज सहित आठ दिन व छः वर्षों की अवधि तक अतिदेय हो गया।

- इसके अतिरिक्त, सात कंपनियों में से चार कंपनियां (**अनुलग्नक 14.3**) जिन्हें ₹27.00 करोड़ की राशि ऋण के रूप में जारी की गई थी, ने लगातार तीन बार ₹11.87 करोड़ की राशि के ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की थी, फिर भी टी.डी.बी. को कंपनियों से ऋण/ब्याज को वापस लेने में एक वर्ष से अधिक समय लगा। चूक के मामलों में टी.डी.बी. द्वारा शीघ्र कार्रवाई का अभाव टी.डी.बी. द्वारा दिए गए ऋणों के घटिया प्रबंधन को भी दर्शाता है।

डी.एस.टी. ने उपरोक्त मामलों में मध्यस्थता देने के क्रियान्वयन की स्थिति दी (फरवरी 2019) जिसे **अनुलग्नक 14.3** में सम्मिलित किया गया है, हालाँकि, डी.एस.टी. ने पहली अवस्था में ऋण को वापस में विलंब हेतु कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

14.1.7.6 बकाया ऋण/ब्याज की माफी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड नियम 1996 के नियम 19(13) के संदर्भ में, उन परियोजनाओं के मामले में जिन्हें समझौते के प्रावधानों के अनुसार असफल घोषित किया जा रहा है, बोर्ड ब्याज व ऋण राशि की वसूली को माफ करने पर विचार कर सकता है; तथा ऐसी स्थिति में, अनुपयोगी शेष राशि बोर्ड को वापिस कर दी जाएगी और सृजित सम्पत्तियों का निपटान बोर्ड द्वारा तय किये गए तरीके से होगा।

---

[17] मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एम.आई.सी. इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स रिलायंस सैल्युलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स बायोजैनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद तथा मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु

2008-19 की अवधि के दौरान, टी.डी.बी. ने 14 कंपनियों[18] जिन्होंने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी, के बकाया ₹5.20 करोड़ के ऋण की मूलधन राशि तथा ₹36.98 करोड़ के ब्याज/रायल्टी को माफ कर दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण समझौतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें परियोजना को असफल घोषित करने की परिस्थितियों को परिभाषित किया गया हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 मामलों में से पाँच[19] मामलों में टी.डी.बी. ने परियोजनाओं को पूर्ण घोषित किया था। टी.डी.बी. द्वारा इन मामलों में ऋण के मूल धन की राशि व ब्याज को माफ करना टी.डी.बी. नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत नहीं था और इसलिए अनियमित था।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि प्रौद्योगिकी की विफलता, विपणन विफलता, व्यवसायिक विफलता, अपर्याप्त बिक्री/राजस्व का उत्पादन, बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन इत्यादि के कारण परियोजना विफल हो सकती है तथा सभी मामले जिसमें मूलधन या ब्याज माफ किया गया था, उन्हें टी.डी.बी. नियमों 1996 के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी.डी.बी. नियम 1996 यह निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड ऋण/ब्याज की बकाया राशि को माफ करने पर विचार कर सकता है जहाँ परियोजना को समझौते के प्रावधानों के अनुसार विफल घोषित किया गया हो। उपरोक्त उल्लिखित कंपनियों के साथ किए गए समझौतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो परियोजना को विफल घोषित करने की शर्तों को परिभाषित करता हो। टी.डी.बी. को अपने ऋण समझौतों में ऐसी शर्तों को सम्मलित करने की आवश्यकता है।

---

[18] नैशनल एरोस्पेस लैबोरेट्रिज़, बेंगलुरू; मैसर्स एस.आई.डी.डी. लाइफ साइन्सेज प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु; मैसर्स श्रीपैट इंडस्ट्रीज़; मैसर्स नवीन एडिटीव लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एल्फा अमीन प्रा. लिमिटेड; मैसर्स हरियाणा बायाटेक प्रा. लिमिटेड, गुरूग्राम; मैसर्स पुष्कर केम लिमिटेड, मुम्बई; मैसर्स मिडास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजि टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स वैल्यूपिच ई टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लिमिटेड, मुम्बई; मैसर्स एंजल हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स पोवाई लैब टेक्नोलॉजी, मुम्बई; मैसर्स ए.टी.वी. प्रोजेक्ट्रस तथा मैसर्स इंडस्विफ्ट, चंडीगढ़

[19] मैसर्स नवीन एडीटीव लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स हरियाणा बायोटेक प्रा. लिमिटेड, गुरूग्राम; मैसर्स मिडास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद तथा मैसर्स इंडस्विफ्ट, चंडीगढ़

14.1.7.7 अपर्याप्त परियोजना निगरानी

उधार लेने वालों के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौतों के अनुसार, परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी हेतु एक परियोजना निगरानी कमेटी (पी.एम.सी.) की नियूक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जिसमें बोर्ड के प्रतिनिधि तथा अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। उधार लेने वालों को छः माही प्रतिवेदन में किए गए व्यय, की गई तकनीकि प्रगति, कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्राप्त किए गए/बीमा किए गए संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि का ब्यौरा भी इस हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। परियोजनाओं के अंत में, उधार लेने वालों को टी.डी.बी. को एक अंतिम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा ने टी.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में निम्नलिखित कमियों को दर्शाया:

(i) यद्यपि समझौतों में पी.एम.सी. द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, फिर भी 21 परियोजनाओं में से किसी के भी समझौते में पी.एम.सी. बैठक आयोजित करने की कोई आवधिकता निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, पी.एम.सी. बैठकें केवल ऋण की किश्तों (दूसरी किश्तों से) के जारी करने के समय ही गठित की गई थीं। पी.एम.सी. की नियमित निगरानी द्वारा, परियोजनाओं की प्रगति हेतु विशेषज्ञ तकनीकी निगरानी व निर्देश प्रदान किये जा सकते थे।

(ii) तीन परियोजनाओं[20] के मामले में, परियोजनाओं की स्वीकृत अवधि के दौरान पी.एम.सी. की कोई बैठक नहीं की गई थी। बैठक न होने से कंपनियों की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ परियोजनाओं की तकनीकी व वित्तीय प्रगति पर सूचना का अभाव रहा। यद्यपि एक परियोजना पूर्ण थी, फिर भी अंतिम उत्पादों के व्यवसायीकरण में उनका समापन नहीं हुआ, अन्य परियोजना को कंपनी द्वारा छोड़ दिया गया तथा तीसरी परियोजना को भी पूर्ण होने से पहले ही बंद कर दिया गया। इन तीन कंपनियों में से दो, अर्थात मैसर्स इंटेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने भी ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी।

---

[20] मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बेंगलोर; मैसर्स इन्टेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद

(iii) छ:[21] परियोजनाओं के मामले में, ऋण की पूर्ण/अंतिम किश्त के जारी होने के पश्चात कोई पी.एम.सी. बैठकें आयोजित नहीं की गई थी, इससे परियोजनाओं के उनकी उन्नत चरण में निगरानी का अभाव रहा। अंत में, केवल दो परियोजनाऐं ही पूर्ण थीं, जबकि दो परियोजनाऐं पूर्ण नहीं थीं व शेष दो परियोजनाओं को रोक दिया गया था।

(iv) किसी भी कंपनी ने परियोजनाओं के लिए निर्धारित छमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

पी.एम.सी. की बैठकें आयोजित न करने से परियोजनाओं की निगरानी का अभाव रहा तथा इसने टी.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं की तकनीकी निगरानी तथा परियोजना की प्रगति व बाधाओं पर टी.डी.बी. के विशेषज्ञों के आवधिक तकनीकी मार्गदर्शन के उद्देश्य को विफल कर दिया। इसके कारण, कंपनियों की वित्तीय स्थिति की निगरानी तथा परियोजनाओं के निष्पादन, परिकल्पित उत्पादों का व्यवसायिक उत्पादन व बकाया ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए उनकी क्षमताओं के आकलन का भी अभाव रहा। परियोजना की अंतिम किश्त के जारी होने के पश्चात पी.एम.सी. बैठकों के अभाव के कारण परियोजनाओं के व्यवसायीकरण की स्थिति पर सूचना का अभाव रहा जैसा कि निम्न पैरा 14.1.7.8 में चर्चा की गई है।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, ऋण की किश्त जारी करने से पहले पी.एम.सी. बैठक आयोजित की गई जैसा कि ऋण समझौते में दर्शाया गया है। डी.एस.टी. ने आगे कहा कि टी.ड.बी. ने परियोजना के पूर्ण घोषित होने के पश्चात नियमित आधार पर निगरानी नहीं कि क्योंकि कंपनी टी.डी.बी. समर्थित उत्पाद/प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण से संबंधित अन्य गतिविधियों को पूरा कर रही थी। डी.एस.टी. ने यह भी कहा कि अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के मामले में, कंपनी सामान्यत: अनुमोदित कार्यान्वयन योजना के अनुसार पर्याप्त कार्य हो जाने के पश्चात ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं की निगरानी हेतु निर्धारित आवधिकता के अभाव में उक्त क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित दृष्टांत थे जिसमें परियोजनाओं की स्वीकृत अवधि के दौरान परियोजना निगरानी समिति की कोई भी बैठक नहीं की गई थी, जिसने समझौते के प्रावधानों के अनुरूप

[21] मैसर्स एंजल हैल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स बायोजैनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स इंटेलिजीयन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ज्योति लिमिटेड, बड़ोदरा; मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स सामिक्स रिसर्च मटिरियल प्रा. लिमिटेड, बरेली

परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी के उद्देश्य को क्षति पहुँचायी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि के भीतर व्यवसायीकरण की प्राप्ति व विस्तार को सुनिश्चित करने तथा रॉयल्टी की प्राप्ति व उपचय की निगरानी के लिए परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी निगरानी आवश्यक थी। परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात नियमित निगरानी न होने के कारण कंपनियों द्वारा परिकल्पित उत्पादों के व्यवसायीकरण यदि कोई हो, के बारे में सूचना का अभाव रहा जैसा कि निम्न **पैरा 14.1.7.8** में चर्चा की गई है।

14.1.7.8 अनुचित रूप से बढ़ाये हुए बिक्री अनुमान

टी.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं को मंज़ूरी कंपनियों द्वारा अपने पारियोजना प्रस्तावों में दिए गए उत्पाद, बिक्री और लाभप्रदता अनुमानों पर विचार करने के बाद दी जाती है। किए गए समझौतों के अनुसार, कंपनियों को व्यवसायीकरण के आरंभ होने की दिनांक से संपूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान तक विकसित उत्पादों की बिक्री कारोबार पर 0.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान करना था।

10 पूर्ण परियोजनाओं में से, पाँच[22] परियोजनाओं जिसमें ₹44.75 करोड़ की वित्तीय सहायता सम्मिलित है को संबंधित पी.एम.सी. की अनुशंसा के आधार पर टी.डी.बी. द्वारा पूर्ण घोषित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं को यह सत्यापित करने से पहले ही कि क्या इन कंपनियों ने परियोजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित उत्पादों का व्यवसीकरण/उत्पादन आरंभ वास्तविक रूप से किया था, पूर्ण घोषित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, टी.डी.बी. को इन कंपनियों द्वारा परिकल्पित उत्पादों के व्यवसायीकरण, यदि कोई हो के बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2019 तक इन पाँच कंपनियों में से किसी से भी कोई रॉयल्टी प्राप्त नहीं हुई थी।

शेष पाँच परियोजनाओं में से यद्यपि कंपनियों द्वारा उत्पादन व्यवसायिक पैमाने पर किया गया था फिर भी वह उनके द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों में दिए गए उत्पादन/बिक्री के अनुमानों से काफी कम था इसके परिणामस्वरूप परियोजना प्रस्ताव में रॉयल्टी की कम प्राप्ति हुई। पाँच

---

[22] मैसर्स एम.आई.सी. इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (₹15.00 करोड.); मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (₹13.50 करोड़); मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (₹25.00 लाख); मैसर्स रिलायंस सेल्यूलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद (₹4.40 करोड़); मैसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड, हैदराबाद (₹11.60 करोड़)

परियोजनाओं से ₹3.30 करोड़ की प्राप्तियोग्य रॉयल्टी की राशि में से केवल ₹35.17 लाख की रॉयल्टी प्राप्त हुई थी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि कुछ मामले में, टी.डी.बी को ऋण समझौते में रॉयल्टी खंड का अभाव, परियोजनाओं को छोड़ दिया जाना या रोक दिया जाना, राजस्व उत्पादन में विफलता, वित्तीय स्थिति का खराब होने इत्यादि के कारण किसी भी रॉयल्टी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। डी.एस.टी. ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी, वित्तीय या नियामक परिदृश्यों में परिवर्तन के कारण व्यवसायीकरण के वास्तविक विस्तार व अनुमानों के बीच अंतर था।

पैरा में उल्लिखित सभी मामलों के ऋण समझौतों में रॉयल्टी के भुगतान के लिए खंड सम्मिलित थे व किसी भी मामले में कंपनी के वित्तीय हितों के लिए उपयुक्त तरीके से इसका सुधार किया गया था। पूर्ण होने के पश्चात निगरानी न होने से टी.डी.बी. उसके द्वारा देय रॉयल्टी की राशि से अनभिज्ञ था। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी, वित्तीय या नियामक परिदृश्यों परिवर्तन का तर्क पांच पूर्व परियोजनाओं में वास्तविक बिक्री की तुलना में अनुमानित बिक्री में 75 से 99 प्रतिशत के विशाल अंतर को उचित नहीं ठहराता है।

14.1.8 निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को व्यापक घरेलू वितरण के लिए स्वदेशी व आयातित प्रौद्योगिकीयों के व्यवसायीकरण हेतु औद्योगिक संस्थाओं व अन्य एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में कमी मुख्य रूप से औद्योगिक साझेदारों के चयन में अपर्याप्त समयक तत्परता के कारण रही क्योंकि लेखा परीक्षा में चयनित नमूनों मैं से अधिकांश कंपनियाँ ऋण/ब्याज या रॉयल्टी के पुनर्भगतान में विफल रहीं। उन्हें स्वीकृत किए गए ऋणों में अपूर्ण प्रबंधन था क्योंकि बोर्ड आवधिक निगरानी बैठकें, परियोजना क्रियान्वयन के दौरान तथा समाप्ति पर निगरानी बैठकें आयोजित करने और ऋणों की वापसी में देरी को ठीक करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में चयनित 21 परियोजनाओं में से, केवल 10 परियोजनाएं ही पूर्ण हुई थीं। इन 10 परियोजनाओं में से, पांच परियोजनाओं के व्यवसायीकरण की स्थिति पर टी.डी.बी. के पास कोई सूचना नहीं थी, जबकि शेष पाँच परियोजनाओं में, व्यवसायीकरण का विस्तार अनुमानित आँकड़ों से काफी कम था। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना प्रस्तावों में कंपनियों द्वारा दिए गए अनुमानों की तुलना में रॉयल्टी की राशि कम प्राप्त हुई।

पात्रता शर्तों में छूट देने के पश्चात वित्तीय सहायता की स्वीकृति देना, ऋण की प्रथम किश्त को अधिक देना व समझौते की शर्तों को पूरा किए बिना ऋण देने जैसे दृष्टांतों को पाया गया था जिसने सरकार के वित्तीय हित को प्रभावित किया था। ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के विरूद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे सात कंपनियों से ₹66.05 करोड़ बकाया रहे। 14 चूक करने वाली कंपनियों से ₹42.18 करोड़ की राशि को माफ कर दिया गया था जिससे टी.डी.बी. को हानि हुई।

अक्टूबर 2019 में हुए समापन बैठक में टी.डी.बी. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं अनुशंसाओं को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया की उस पर उपचारी कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

अनुशंसाएं

(i) टी.डी.बी. को सभी स्वीकृत ऋणों की समीक्षा करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

(ii) अपने हितों को सुनिश्चित करने हेतु, टी.डी.बी. को उचित एवं रिकॉर्ड किये गए औचित्य के बिना बोर्ड द्वारा तय की गयी संपार्श्विक सुरक्षा को लचीला नहीं करना चाहिए।

(iii) टी.डी.बी. सुनिश्चित करे कि ऋण समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर ही ऋण की किश्तें जारी की जाएं।

(iv) टी.डी.बी. परियोजना निगरानी समिति की बैठकों हेतु एक निर्धारित आवृत्ति अनुबद्ध करने पर विचार कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसी बैठकें विधिवत रूप से आयोजित की जाती हैं। समझौते में निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी से आवधिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें तथा सम्पत्तियों की बीमा पॉलिसियाँ सख्ती से प्राप्त की जा सकती हैं।

(v) टी.डी.बी. को परियोजना को विफल घोषित कर सकने वाली स्थितियों को, कंपनियों के साथ किये जाने वाले ऋण समझौतों में शामिल करने की आवश्यकता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

14.2 कर्मचारियों को भत्तों को प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर द्वारा मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, गैर-अभ्यास भत्ता, परिवहन भत्ता और परियोजना भत्ता के भुगतान पर ₹5.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर (एन.बी.आर.सी.)[23] के अभिलेखों के लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों को भत्ते देने में अतिरिक्त खर्च किया गया। नीचे उल्लिखित अतिरिक्त भुगतान केवल परीक्षण जाँच के परिणाम को दर्शाते हैं एवं एन.बी.आर.सी. को ऐसे सभी भुगतानों की प्रभावी वसूली के लिए व्यापक तौर पर समीक्षा की आवश्यकता है।

14.2.1 मकान किराया भत्ता

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के आदेश दिनांक 09 दिसंबर 1986 (एन.बी.आर.सी. पर लागू) के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्थल गुड़गाँव नगर निगम है (जिसे वर्तमान में गुरूग्राम नगर निगम के रूप मे जाना जाता है), वे दिल्ली में लागू दरों पर मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) लेने के हकदार हैं।

एन.बी.आर.सी. ने प्रारंभिक तौर पर अपनी गतिविधियाँ गुरूग्राम, हरियाणा से संचालित की थी, लेकिन उसके बाद मानेसर, हरियाणा मे स्थानांतरित हो गया (मार्च 2003), जो कि गुरूग्राम नगर निगम की सीमा से बाहर था।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि हालांकि एन.बी.आर.सी. ने अगस्त 2008 तक मानेसर में लागू निम्न दरों के आधार पर एच.आर.ए. का सही भुगतान किया, लेकिन सितंबर 2008 से इसने दिल्ली में लागू उच्च दरों के आधार पर एच.आर.ए. का भुगतान किया। इससे 2008-09 से 2017-18 के दौरान एच.आर.ए. के रूप में ₹3.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि एच.आर.ए. की उच्च दर पर भुगतान को एन.बी.आर.सी. की शासन परिषद (जी.सी.) ने एम.ओ.एफ. के आदेशों दिनांक 27 नवंबर 1965 के संदर्भ में अनुमोदित किया था, जिसके अनुसार

[23] जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के अंतर्गत एक स्वायत निकाय।

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निर्धारित शर्तों[24] को पूरा करने वाले अपने कर्मचारियों को उच्च दर पर एच.आर.ए. की मंजूरी देने के लिए अधिकृत है। जबकि डी.बी.टी. ने स्वीकार किया कि एन.बी.आर.सी. ने उनकी मंजूरी नहीं ली है, उन्होनें यह भी कहा कि यह इस धारणा के अंतर्गत किया गया था कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति एक निकाय द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव, डी.बी.टी. तथा सदस्य के रूप में जे.एस. एण्ड एफ.ए., डी.बी.टी. सम्मिलित थे।

डी.बी.टी. के सचिव एवं जे.एस. एण्ड एफ.ए., द्वारा एन.बी.आर.सी. की जी.सी. में पदाधिकारियों के रूप में दी गई स्वीकृति का अर्थ प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति नहीं माना जा सकता, क्योंकि मामले की सही प्रशासनिक जाँच, परीक्षण, यथोचित तत्परता तथा स्वीकृति के लिए डी.बी.टी. के आंतरिक नियंत्रण ढ़ांचे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके अलावा, गुरूग्राम और एन.बी.आर.सी., मानेसर की नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी अथवा कर्मचारियों की कार्यक्षेत्र की जगह के पास आवास की कमी के कारण योग्य शहर में रहने की आवश्यकता के संबंध में कोई वैध दस्तावेज अभिलेख में नहीं पाए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.बी.आर.सी. की वित्त समिति की बैठक (अप्रैल 2019) में निर्णय लिया गया कि एन.बी.आर.सी. तथा गुरूग्राम की नगरपालिका सीमा के बीच की दूरी का प्रमाण-पत्र संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त किया जाए। हालांकि, कर्मचारियों के योग्य शहर में निवास की आवश्यकता के मुद्दे का पालन अभी तक नहीं किया गया है जबकि यह प्रतीत होता है कि मानेसर में आवासीय परिसर की कमी नहीं थी।

14.2.2 गैर-अभ्यास भत्ता

एम.ओ.एफ., जी.ओ.आई. के मौजूदा आदेशों (मार्च 1971) के अनुसार, नैदानिक चिकित्सा/सार्वजनिक स्वास्थ्य पदों के पदाधिकारी गैर-अभ्यास भत्ते (एन.पी.ए.) के हकदार हैं। एन.बी.आर.सी. के कर्मचारी एन.पी.ए. के हकदार नहीं हैं। इसके बावजूद, एन.बी.आर.सी. की जी.सी., जिसमें डी.बी.टी. के तीन सदस्यों के साथ

[24] एच.आर.ए. उन कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटी का स्थान एक योग्य शहर की निकटता में है और जो आवश्यकता के अनुसार शहर में रहते हैं, उस शहर में स्वीकार्य दर पर भुगतान किया जा सकता है, इस विवाद के अधीन कि कर्तव्य के स्थान के बीच की दूरी योग्य शहर की नगरपालिका सीमा की परिधि से आठ कि.मी. से अधिक नहीं होती है और संबंधित कर्मचारियों को योग्य शहर में निवास करना पड़ता है अर्थात अपने कर्तव्य के स्थान के निकट आवास के अभाव में।

अन्य[25] सम्मिलित थे, द्वारा एन.बी.आर.सी. के चिकित्सा/पशु चिकित्सा योग्यता वाले वैज्ञानिकों/अन्य अधिकारियों को एन.पी.ए. का भुगतान स्वीकृत (अगस्त 2009) किया गया। तदनुसार, एन.बी.आर.सी. ने 2009-10 व 2017-18 के बीच छः वैज्ञानिकों/ पशु चिकित्सकों को एन.पी.ए. के रूप में ₹72.06 लाख का भुगतान किया।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि सितंबर 2017 से एन.पी.ए. का भुगतान रोक दिया गया था और संबंधित कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

उत्तर दर्शाता है कि एन.पी.ए. के भुगतान को रोकने के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी वसूली की जानी बाकी थी।

14.2.3 परिवहन भत्ता

एम.ओ.एफ. के आदेशानुसार (अगस्त 2008), सरकारी परिवहन सुविधा प्राप्त कर्मचारी परिवहन भत्ता (टी.ए.) लेने के पात्र नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.बी.आर.सी. ने 32 कर्मचारियों को पूलिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कारों को किराये पर लिया और लगभग 13 कर्मचारियों को बस[26] द्वारा ले जाया गया। केवल 2014-18 के दौरान, एन.बी.आर.सी. ने कारों[27] को किराये पर लेने पर ₹1.02 करोड़ का व्यय किया। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि इन कर्मचारियों को ₹56.36 लाख के परिवहन भत्ते का भुगतान किया गया था।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि एन.बी.आर.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन सुविधा निवास व कार्यालय के बीच की यात्रा हेतु नही थी बल्कि शहर के कुछ निर्धारित बिन्दुओं से थी तथा उक्त सुविधा का लाभ कर्मचारियों से मासिक शुल्क की वसूली के पश्चात दिया जा रहा था। हालांकि, डी.बी.टी. ने यह भी कहा कि एन.बी.आर.सी. को जल्दी से जल्दी चरणबद्ध पद्धति से सुविधा वापस लेने के निर्देश दिए गए थे।

---

[25] एन.बी.आर.सी. सोसायटी; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; आई.वी.आई. बेंगलुरू; मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा एन.बी.आर.सी.

[26] नाममात्र ₹ 20 से ₹ 1,000 प्रति माह के भुगतान पर

[27] एन.बी.आर.सी. के 32 कर्मचारियों को कार पूलिंग की सुविधा दी गई थीं। बसों को किराये पर लेने का व्यय सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इन बसों का उपयोग छात्रों द्वारा भी किया जाता था।

औचित्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिवहन भत्ता देने के वर्तमान सरकारी आदेश, निवास एवं कार्यालय के बीच संपूर्ण यात्रा अथवा उसके एक भाग के बीच अंतर नहीं दर्शाते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं था कि एक निश्चित बिन्दु तक ही परिवहन को क्यों उपलब्ध करवाया जा रहा था और इससे परे नहीं तथा न ही ऐसी किसी व्यवस्था हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। सरकारी नियमों में शुल्क के आधार पर कर्मचारियों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु भी कोई प्रावधान नहीं है।

14.2.4 परियोजना भत्ता

एम.ओ.एफ. के कार्यालय ज्ञापन (जनवरी 1975) के संदर्भ में, बड़े पैमाने की निर्माण परियोजनाओं[28] में कार्यरत कर्मचारियों को परियोजना भत्ता स्वीकार्य होगा। इस तरह का भत्ता केवल उन परियोजनाओं में स्वीकार्य है जो सरकार द्वारा विशेष आदेशों के माध्यम से घोषित किए गए हैं और उन्हे वित्त मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता है।

यद्यपि एन.बी.आर.सी. उपरोक्त आदेशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तथा एम.ओ.एफ. की स्वीकृति के बिना, एन.बी.आर.सी. की जी.सी. ने (जुलाई 2004) मानेसर के सुदूरवर्ती स्थान पर होने के आधार पर एन.बी.आर.सी. के कर्मचारियों को अप्रैल 2003[29] से परियोजना भत्ता स्वीकृत किया था। 2007-08 से 2016-17 की अवधि हेतु परियोजना भत्ते का भुगतान ₹78.34 लाख था।

लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद, एन.बी.आर.सी. द्वारा (अप्रैल 2017) परियोजना भत्ता रोक दिया गया तथा जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि हेतु ₹14.26 लाख की आंशिक वसूली को प्रभावित किया गया।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि एन.बी.आर.सी. को परियोजना भत्ते की शेष राशि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए थे।

उत्तर दर्शाता है कि भुगतान को रोकने के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरी वसूली की जानी बाकी थी।

---

[28] आवास, स्कूलों, बाजारों तथा डिस्पेंसरी जैसी सुविधाओं के अभाव हेतु उन्हें मुआवजा देने के लिए

[29] एन.बी.आर.सी. के मानेसर में अपने नए परिसर में जाने की तिथि